भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद

विभिन्न राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं

अंतरिक्ष राजभाषा कार्यान्वयन योजना

(सोलिस)

Space Official Language Implementation Scheme

(SOLIS)

विशेष वार्षिक प्रोत्साहन योजना

पुरस्कार	संख्या	राशि	विवरण
प्रथम विशेष	01	6500/-	हिंदी में दैनंदिन कार्य के लिए वार्षिक आधार पर विशेष पुरस्कार “क” एवं “ख” क्षेत्रों के लिए 1,00,000 से अधिक एवं “ग” क्षेत्र के लिए 50,000 शब्द से अधिक गुणवत्ता एवं परिमाण की दृष्टि से दो कार्मिकों को A Special Prize to be awarded annually for the word limit is more than 1,00,000 for region ‘A’ & ‘B’ and more than 50,000 for region ‘C’. Under this, based on quality and quantum, two personnel
द्वितीय विशेष	01	4500/-	

वार्षिक प्रोत्साहन योजना

पुरस्कार	संख्या	राशि	विवरण
प्रथम	06	4000/-	हिंदी में दैनंदिन कार्य के लिए प्रतिवर्ष “क” एवं “ख” क्षेत्र में 20,000 और अधिक और क्षेत्र “ग” में 10,000 और उससे अधिक लिखे गए शब्दों के लिए पुरस्कार कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। Award for writing **20,000** & above words in region ‘A’ & ‘B’ and **10,000** words and above in region ‘C’ in Hindi in day-to-day official work annually. The prize will be awarded on the basis of quantum and quality of work done by the staff members.
द्वितीय	08	2500/-	
तृतीय	16	1500/-	
कुल पुरस्कार	30		

प्रचलित योजना के अनुसार, तत्कालीन समूह “घ” कैंटीन स्टाफ एवं वाहन चालकों के लिए संशोधित पुरस्कार राशि का 50% एवं शब्दों का 50% लागू रहेगा। The 50% of the revised prize amount and 50% of No. of words will be applicable to the erstwhile Group ‘D’ staff, canteen staff and Drivers as in the prevalling scheme.

संबंधित समिति कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा के आधार पर जांच और मूल्यांकन करेगी तथा प्रोत्साहन की अनुशंसा करेगी एवं समिति का निर्णय अंतिम होगा।

The committee will look into and evaluate the work based on the quality and quantum of the work and shall recommend for incentives, the decision of the committee will be final.

प्रशिक्षित आशुलिपिकों को अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने हेतु प्रोत्साहन योजना

संसदीय राजभाषा समिति जो कि समय-समय पर निरीक्षण करती है, भी इस बात पर जोर देती है कि हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों को अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख दिया जाए।

राजभाषा विभाग के दिनांक 19 सितंबर, 2016 के का.ज्ञा.सं. 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) के अनुसार, अं.वि./इसरो तथा इसके सभी केंद्र/यूनिटों में अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस प्रोत्साहन योजना की पुरस्कार राशि निम्नवत है:-

प्रथम पुरस्कार (2) : ₹5000 /- प्रत्येक

द्वितीय पुरस्कार (3) : ₹3000 /- प्रत्येक

तृतीय पुरस्कार (5) : ₹2000 /- प्रत्येक

विषय: **अं.वि./ इसरो में अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने हेतु प्रोत्साहन योजना।**

*****

महोदय/ महोदया,

जैसा कि विदित है कि सरकारी काम-काज में राजभाषा, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की शुरूआत की गई है। राजभाषा विभाग द्वारा पहले से ही अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेखन (डिक्टेशन) देने हेतु प्रोत्साहन योजना विद्यमान है। समय-समय पर निरीक्षण हेतु आती संसदीय राजभाषा समिति भी इस बात पर जोर देती है कि हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों को अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख दिया जाए।

अत:, राजभाषा विभाग के दिनांक 19 सितंबर, 2016 के का.ज्ञा.सं. 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) के अनुसार, इस वर्ष से अं.वि./इसरो तथा इसके सभी केंद्र: यूनिटों में अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। इस प्रोत्साहन योजना की पुरस्कार राशि निम्नवत होगी:-

प्रथम पुरस्कार (2)	:	₹5000 /- प्रत्येक
द्वितीय पुरस्कार (3)	:	₹3000/- प्रत्येक
तृतीय पुरस्कार (5)	:	₹2000/- प्रत्येक

अत: सभी से अनुरोध है कि अपने-अपने केंद्र में इस योजना का व्यापक प्रसार-प्रचार करें और अधिक-से-अधिक संख्या में कर्मचारियों को इस में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें।

इसे सचिव, अं.वि. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,

सरला

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

2. केंद्र सरकार के कार्यालयों में भौतिक फाइलों के स्थान पर इलैक्ट्रानिक फाइल प्रणाली अपनाए जाने के कारण फाइलों पर टिप्पण/आलेखन का अधिकांश कार्य डिजिटल हो गया है। अतः योजना के कार्यान्वयन को विस्तार प्रदान करने के लिए विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क-2) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

वर्तमान में योजना का नाम	संशोधित नाम
'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'	'सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा इलैक्ट्रानिक रूप में) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'
पात्रता में निम्नलिखित पंक्ति को जोड़ा जाता है: 2(2)(ङ) इस योजना के तहत कंप्यूटर/ई-ऑफिस में हिंदी में किए गए टिप्पण/आलेखन को भी शामिल किया जाएगा।	

गृह पत्रिका में लेखों के प्रकाशन हेतु प्रोत्साहन

विवरण	संख्या	राशि
गृह पत्रिका में प्रकाशित लेख **Article published in the in-house magazine**	**मौलिक प्रकाशन को**	**300/-**
उत्कृष्ट लेख के लिए **For best Article**	**03**	**1500/-**

पुस्तकालय की हिंदी पुस्तकों का पठन

जो कार्मिक पुस्तकालय से हिंदी पुस्तकें पढ़ने हेतु लेते हैं और पुस्तक के बारे में अपनी राय रखते हैं तो उन्हें प्रति पुस्तक रु.50/- पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। पुस्तकें लेने के ब्यौरे संबंधित पुस्तकालय प्रधान द्वारा उपलब्ध कराएं जाएंगे तथा इस उद्देश्य हेतु गठित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

The personnel drawing Hindi books from the library for reading and writing their views about the book will be awarded Rs. 50/- per book. The borrowing details shall be provided by the respective Library Heads and it will be evaluated by the Committee constituted for this purpose.

हिंदी तकनीकी संगोष्ठी	राशि
अंतर-केंद्र हिंदी तकनीकी संगोष्ठी Inter-Centre Hindi Technical Seminar	4000/-
केंद्र स्तरीय हिंदी तकनीकी संगोष्ठी-पूल के अंतर्गत Centre Level Hindi Technical Seminar	3000/-

हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को योग्यता पुरस्कार
Merit Awards to Children Securing Highest marks in Hindi subject

अंतरिक्ष विभाग के निर्देशानुसार सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड तथा अंतरराष्ट्रीय बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पीआरएल में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के बच्चों को निम्नानुसार पुरस्कार दिये जायेंगे:-

According to the instructions issued by Department of Space, Children of staff members of PRL, securing highest marks in X and XII std. Exams conducted by CBSE, ICSE, State Board and International Board will be awarded as follows-

प्रथम पुरस्कार / First Prize: रु. Rs. 1500/-

द्वितीय पुरस्कार / Second Prize: रु. Rs. 1000/-

तृतीय पुरस्कार / Third Prize: रु. Rs. 500/-

ये पुरस्कार 10वीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड तथा अंतरराष्ट्रीय बोर्ड की श्रेणी में निम्नानुसार अलग-अलग दिये जायेंगे:-

These prizes will be awarded separately to the students of 10th & 12th std for CBSE, ICSE, State Board and International Board as follows:-

कक्षा Standard 10 (कुल Total-12)		कक्षा Standard 12 (कुल Total-12)	
सीबीएसई के लिए/For CBSE	प्रथम, द्वितीय, तृतीय – 3 पुरस्कार / 3 Prizes	सीबीएसई के लिए/For CBSE	प्रथम, द्वितीय, तृतीय – 3 पुरस्कार / 3 Prizes
आईसीएसई के लिए/For ICSE	प्रथम, द्वितीय, तृतीय – 3 पुरस्कार / 3 Prizes	आईसीएसई के लिए/For ICSE	प्रथम, द्वितीय, तृतीय – 3 पुरस्कार / 3 Prizes
राज्य बोर्ड के लिए/For State Board	प्रथम, द्वितीय, तृतीय – 3 पुरस्कार / 3 Prizes	राज्य बोर्ड के लिए/For State Board	प्रथम, द्वितीय, तृतीय – 3 पुरस्कार / 3 Prizes
अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के लिए/For International Board	प्रथम, द्वितीय, तृतीय – 3 पुरस्कार / 3 Prizes	अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के लिए/For International Board	प्रथम, द्वितीय, तृतीय – 3 पुरस्कार / 3 Prizes

पीआरएल की राजभाषा योजनाएं

PRL Official Language Schemes

राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार

कक्षा 6 से 9 तथा कक्षा 11 में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पीआरएल के स्थाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए

- ‘**राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार**’ योजना सत्र 2024-25 से शुरू की गई है।
- कक्षा 6 से 9 एवं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को i) सीबीएसई ii) आईसीएसई iii) राज्य बोर्ड iv) इंटरनेशनल बोर्ड की श्रेणी में अलग-अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय की श्रेणी में 60 पुरस्कार दिए जाएंगे। [4 बोर्ड/5कक्षाएं/1,2,3 (तीन पुरस्कार प्रति बोर्ड-प्रति कक्षा)]
- उपरोक्त के अतिरिक्त, हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण आवेदन प्राप्त होने पर सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे।
- पुरस्कारों की संख्या का निर्धारण प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित मानदंडो के अनुसार किया जाएगा।
- उक्त पुरस्कार प्रत्येक श्रेणी में कक्षावार प्रदान किए जाएंगे, जिसकी पुरस्कार राशि निम्नानुसार है:-

कक्षा	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार	प्रोत्साहन पुरस्कार
6 से 9	600/-	500/-	400/-	250/-
11	1000/-	800/-	600/-	400/-

विशेष प्रोत्साहन योजना

वर्ष 2025 से संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के भाग 4 बिंदु सं. 5 (iii) अनुसार हिंदी माह के दौरान कार्यालय में हिंदी टिप्पण/पत्राचार में बढ़ोतरी हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई।

उक्त विशेष प्रोत्साहन योजना के लिए न्यूनतम 5 प्रतिभागी होने चाहिए।

विशेष प्रोत्साहन योजना के नियम एवं शर्तें:

1. गुणवत्ता एवं परिमाण की दृष्टि से न्यूनतम 3000 शब्द होने चाहिए।
2. केवल **सितंबर** माह के दौरान किए गए उक्त कार्यों को शामिल किया जाएगा।
3. इस योजना में आवेदन करने वाले प्रतिभागी का सितंबर के उक्त कार्य परिमाण सोलिस अथवा किसी अन्य प्रोत्साहन योजना के लिए मान्य नहीं होंगे।
4. पुरस्कारों के लिए कार्यों की जांच तीन सदस्यों की समिति द्वारा की जाएगी।

विशेष प्रोत्साहन योजना पुरस्कारों का विवरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
	1,000/- रु.	800/- रु.	600/- रु.

प्राइड- पीआरएल राजभाषा अंतर-प्रभाग उत्कृष्टता पुरस्कार
PRIDE- PRL Rajbhasha Inter Division Excellence Award

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), में विभिन्न प्रभागों/अनुभागों द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए, अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से, पीआरएल में यह योजना लागू की जा रही है।

With the objective of fostering a spirit of competition among the various Divisions/Sections of Physical Research Laboratory (PRL) for doing work in Hindi, the "PRIDE – PRL Rajbhasha Inter Division Excellence Award" scheme is being implemented at PRL.

पुरस्कार श्रेणियाँ (Award Categories): यह पुरस्कार निम्नलिखित दो प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा:

(क) वैज्ञानिक प्रभाग: खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी, परमाणु, आणविक और प्रकाशिक भौतिकी, भू-विज्ञान, ग्रहीय विज्ञान, अंतरिक्ष एवं वायुमंडलीय विज्ञान, सैद्धांतिक भौतिकी, उदयपुर सौर वेधशाला* और माउंट आबू वेधशाला*।

(*) इस पुरस्कार के उद्देश्य से दोनों वेधशालाओं को पृथक इकाइयों/वैज्ञानिक प्रभागों के रूप में माना जाएगा, क्योंकि वे वर्तमान में अपने-अपने नराकास क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं।

(ख) तकनीकी प्रभाग एवं प्रशासनिक प्रभाग: सीएनआइटी, वर्कशॉप, पुस्तकालय, सीएमजी, चिकित्सालय, सामान्य प्रशासन, क्रय एवं भंडार और लेखा।

- **प्रत्येक श्रेणी में एक विजेता एवं एक रनर-अप शील्ड दी जाएगी।**
- प्रभागों/अनुभागों को निर्धारित प्रोफॉर्मा दिया जाएगा। इसमें वित्तीय वर्ष के आंकड़े शामिल किए जाएंगे। प्रभागों/अनुभागों द्वारा प्राइड पुरस्कार योजना में आवेदन करने के लिए एक प्रोफॉर्मा भरना होगा।
- इस प्रोफॉर्मा में सभी जानकारी/आंकड़े संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच समिति के सदस्यों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक प्रभाग/अनुभाग प्रधान द्वारा किसी सदस्य को नोडल सदस्य के रूप में नामित करने के लिए सूचना भेजी जानी चाहिए। समिति द्वारा मूल्यांकन किए जाने के दौरान यदि किसी प्रभाग/अनुभाग के आंकड़ों में स्पष्टता/अधिक जानकारी की आवश्यकता हुई, नामित सदस्य से इस विषय में जानकारी मांगी जाएगी।
- **प्रत्येक विजेता प्रभाग/अनुभाग को चल-शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ, राजभाषा कार्यों में गहन रुचि उत्पन्न करने, नियमों को निष्ठापूर्वक पालन करने एवं सभी भाषा क्षेत्रों के सदस्यों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने की भावना से विजेता प्रभाग-अनुभाग के प्रत्येक सदस्य (जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान पीआरएल के वेतन क्रमांक पर हो) को 150-250 रु. की राशि का स्मृत्ति चिह्न दिया जाएगा।**

प्राइड PRIDE- पीआरएल राजभाषा अंतर-प्रभाग उत्कृष्टता पुरस्कार योजना प्रोफॉर्मा

(वैज्ञानिक/प्रशासनिक क्षेत्र एवं सेवा-तकनीकी क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष __________

प्रभाग/अनुभाग का नाम:

क्रमांक	मानदंड बिंदु	कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी	अंग्रेजी
1.	प्रभाग/अनुभाग में प्रयोग में लाए जाने वाले प्रपत्र (फॉर्म)			
2.	शीर्षक हिंदी/द्विभाषी में लिखे हुए रजिस्टरों की संख्या			
3.	रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियों का प्रतिशत			
4.	क्या अनुभाग में उपलब्ध सभी रबर मुहर, नामपट्ट, संकेतक, पैनल आदि द्विभाषी हैं?			
5.	वर्ष के दौरान फाइलों पर लिखी गई हिंदी टिप्पणियों की संख्या			
6.	वर्ष के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेज			
7.	संसदीय/विभागीय/आंतरिक निरीक्षण पर की गई कार्रवाई (कार्रवाई रिपोर्ट संलग्न करें) (यदि लागू हो तो)			

8.	स्टाफ सदस्यों का विवरण:				
	कुल संख्या		केवल चर्चा में हिंदी का प्रयोग करने वालो की संख्या		चर्चा एवं लिखित में हिंदी का प्रयोग करने वाले की संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी

क्रमांक	मानदंड बिंदु		
9.	क्या स्टाफ सदस्य विभिन्न हिंदी कार्यक्रमों जैसे हिंदी माह, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी संगोष्ठी आदि में भाग लेते है?	हां/नहीं	प्रतिशत
10.	क्या प्रभाग/अनुभाग के सदस्य विक्रम पत्रिका के लिए हिंदी में मौलिक लेख लिखते हैं?	हां/नहीं	प्रतिशत
11.	क्या व्यक्तिश: आदेश प्राप्त सदस्य अपना शत-प्रतिशत प्रशासनिक कार्य हिंदी में करते हैं? (यदि उत्तर नहीं है तो कारण संलग्न करें)	हां/नहीं	प्रतिशत
12.	क्या प्रभाग/अनुभाग के सदस्यों द्वारा हिंदी में हस्ताक्षर किए जाते हैं?	हां/नहीं	प्रतिशत
13.	छुट्टी, एलटीसी, परिवहन मांग, कार्यभार ग्रहण फॉर्म आदि हिंदी में भरे जाते हैं?	हां/नहीं	प्रतिशत
14.	बैठकों में हिंदी में चर्चा का प्रतिशत		
15.	ऑल यूजर/सभी स्थायी सदस्य ई-मेल हिंदी/द्विभाषी में भेजे जाने का प्रतिशत		

15.	कंप्यूटरों का विवरण:		
	कंप्यूटरों की कुल संख्या	कितनों में द्विभाषी (यूनिकोड) में काम करने की सुविधा	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वाले स्टाफ सदस्यों की संख्या

16.	अनुभाग के कुल कितने स्टाफ सदस्यों के ई-मेल विवरण द्विभाषी हैं?			
	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी	प्रतिशत

17.	क्या वर्ष के दौरान सभी नामित स्टाफ सदस्यों ने हिंदी कार्यशाला में भाग लिया?	हां/नहीं
	यदि नहीं, तो क्या इसकी पूर्व सूचना संबंधितों को दी गई थी?	हां/नहीं
18.	राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग/अनुभाग द्वारा किए गए नवाचार/नवोन्मेषी कार्यों का विवरण: (अलग से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)	

उपरोक्त बिंदुओं में से जो संबंधित प्रभाग/अनुभाग के लिए लागू न हो, वहां *लागू नहीं* लिख दें।
उपरोक्त सभी बिंदुओं/आंकड़ों के प्रामाणिक दस्तावेजों को निरीक्षण के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

दिनांक:............................

स्थान: ....

प्रभाग/अनुभाग के प्रधान के हस्ताक्षर

राजभाषा विभाग हिंदी शिक्षण योजना

Department Of Official Language Hindi

Teaching Scheme

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

प्रशिक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:-

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत **हिंदी शब्द संसाधन/टंकण** का प्रशिक्षण हर वर्ष में दो बार **फरवरी एवं अगस्त** में होता है तथा हिंदी **आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड** का प्रशिक्षण हर वर्ष में **केवल एक बार फरवरी** में ही होता है। हिंदी शब्द संसाधन/टंकण प्रशिक्षण में एम.एस.वर्ड में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ टंकण प्रशिक्षण जिसमें सारणी, पत्र लेखन, हस्तलेख एवं गति अभ्यास आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथा आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड प्रशिक्षण में उसके साथ-साथ सामान्य टंकण प्रशिक्षण का भी समावेश होता है।

नोट:

- इस परिपत्र के साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संलग्नक इन कार्यालय ज्ञापनों को भी सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें। जिससे उन कार्यालयों में कार्यरत राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित हों।
- हिंदी शब्द संसाधन टंकण तथा हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड परीक्षा केवल "इन्स्क्रिप्ट" की बोर्ड ले-आउट अनुसार ही आयोजित होगी इसके अलावा अन्य किसी तरीके (यथा ट्रांसलिटरेशन या फोनेटिक माध्यम) से परीक्षा नहीं होगी। प्रशिक्षण भी केवल कंप्यूटर पर यूनिकोड "इन्स्क्रिप्ट" की बोर्ड अनुसार ही दिया जाएगा।

<u>प्रशिक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:-</u>

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/टंकण का प्रशिक्षण हर वर्ष में दो बार फरवरी एवं अगस्त में होता है तथा हिंदी **आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण हर वर्ष में केवल एक बार फरवरी में ही होता है।** इन दोनों ही प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी कार्मिकों/अधिकारीगण को नियमानुसार वित्तीय प्रोत्साहन - एक साल के इंक्रीमेंट की राशि एवं नकद पुरस्कार अतिरिक्त देय होता है एवं आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड प्रशिक्षण में जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें दो साल के इंक्रीमेंट के बराबर की राशि का वित्तीय प्रोत्साहन आदि देय होता है।

हिंदी शब्द संसाधन/टंकण प्रशिक्षण में एम.एस.वर्ड में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ टंकण प्रशिक्षण जिसमें सारणी, पत्र लेखन, हस्तलेख एवं गति अभ्यास आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथा आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड प्रशिक्षण में उसके साथ-साथ सामान्य टंकण प्रशिक्षण का भी समावेश होता है।

अनुलग्नक-क

हिंदी शिक्षण योजनाHINDI TEACHING SCHEME, राजभाषा विभाग DOL, गृह मंत्रालय MHA, अहमदाबाद/Ahmedabad

दीर्घकालिक, नियमितप्रशिक्षण हेतु प्रणाली में प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षार्थियों का व्यक्तिगत ब्योरा

(✓किसी एक मेंनिशान लगाएँ) **हिंदी शब्द संसाधन (टंकण)** ☐ *अथवा* **हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड** ☐

(हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में भरें) (✓निशान लगाएँ) केंद्रीय सरकारी Central Govt ☐ उपक्रम P S U ☐ बैंक Bank ☐

1. प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में) ....
   Name of the Trainee (In English) ....
3. पिता/पति का नाम (हिंदी में) ....
   Father/Husband's Name (In English) ....
3. प्रशिक्षार्थी का पद नाम (हिंदी में) ....
   Designation of the Trainee (In English) ....
4. मातृभाषा/Mother Tongue :- ....लिंग/Gender:- पुरूष/स्त्री(M/F)(✓निशान लगाएँ)
5. हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:- (✓निशान लगाएँ) Level of Knowledge in HindiLang. दसवीं/बारहवीं/स्नातक/स्ना.को. 10th/12th/Graduate/P.G.
6. मंत्रालय/विभाग:- .... Ministry/Department :- ....
7. ई-मेल आईडी प्रशिक्षार्थी की:- .... मोबाईल/MobileNo:- (wh.app no.)....................
8. ई-मेल आईडी (कार्यालय की):- .... कार्यालय दूरभाष/office Phone No:- ....
9. आधार संख्या/Aadhar No. ....
10. कार्यालय का पूरा नाम एवं पता पिन कोड सहित Full Name and Add. of the office including Pin Code
    ....
11. हिंदी शब्द संसाधन/टंकण हेतु शेष की संख्या ....नामितों की संख्या ....
    हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड हेतु शेष की संख्या ....नामितों की संख्या ....

दिनांक/Date:-.................... प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर :-....................

नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर ....

कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं० (मोहरसहित) ....

ईमेल आई.डी ....

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संलग्नक कार्यालय ज्ञापन संख्या-21034/08/2017-राभा (प्रशि), दिनांक 01.10.2025 के अनुसार **राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।**

इन दोनों ही प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी कार्मिकों/अधिकारीगण को नियमानुसार वित्तीय प्रोत्साहन - **एक साल के इंक्रीमेंट** की राशि एवं नकद पुरस्कार अतिरिक्त देय होता है एवं आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड प्रशिक्षण में जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें **दो साल के इंक्रीमेंट** के बराबर की राशि का वित्तीय प्रोत्साहन आदि देय होता है।

क्रमांक	हिंदी टंकण	हिंदी आशुलिपी	अतिरिक्त नकद पुरस्कार
1.	97% या अधिक	95% या अधिक	6000/- रुपए
2.	95% से 96%	92% से 94%	4000/- रुपए
3.	90% से 94%	88% से 91%	2000/- रुपए

अनिवार्य:		स्वैच्छिक :	
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड	हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड
सभी अंग्रेजी टंककों, अवर श्रेणी लिपिकों,डाकविभागमेंडाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालयसहायकों,दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें वर्ग"ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्नपदनाम और भिन्न वेतनमान हैं एवं वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए, जो ग्रुप "ग" श्रेणी के लिए निर्धारितशैक्षिक योग्यता रखते हैं,सभी के लिएप्रशिक्षणअनिवार्य है, प्रशिक्षण के उपरांत **वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन देय होगा।**	राजपत्रित एवं अराजपत्रित सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों/ वैयक्तिक सहायकों/ निजी सचिवों के लिए हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इनको प्रशिक्षण के उपरांत **वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहनदेय होगा।**	1. वर्तमान में सहायक अनुभाग अधिकारियों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है परंतु इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।इनको प्रशिक्षण के उपरांत **वित्तीयलाभ/वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।** 2. राजपत्रित अधिकारियों को कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन वे परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे।	अवर श्रेणी लिपिक/टंकक आदि भी स्वैच्छिक आधार पर हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण ले सकते हैं लेकिन ये वित्तीय लाभ/वित्तीयप्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि।

वित्तीय प्रोत्साहन:

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संलग्नक कार्यालय ज्ञापन संख्या- 21034/08/2017-राभा (प्रशि), दिनांक 01.10.2025 के अनुसार **राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।**
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड की परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नियमानुसार 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों वैयक्तिक सहायकों/ निजी सचिवों आदि की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड की परीक्षा पास करने पर नियमानुसार दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि स्टेनोग्राफी शॉर्टहैंड परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संलग्नक कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/25/2024-राभा (प्रशि.)दिनांक 01/07/2025 एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के पत्र संख्या 07/57/2024-हिंशियो/(मु.)/2039 दिनांक 26/08/2025 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर **अधोलिखित तालिका के अनुसार वैयक्तिक वेतन सहित अतिरिक्त नकद पुरस्कार** आदि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थानों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी/:

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि जुलाई-नवंबर, 2026	परीक्षा नवंबर, 2026	पात्रता
प्रबोध	2-2 घंटे एकांतर दिवस सप्ताह में 6 घंटे	तीसरा/चौथा सप्ताह	जिनका हिंदी ज्ञान पांचवीं कक्षा के स्तर से कम है ऐसे सभी कर्मचारी/अधिकारी प्रबोध प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं । तमिल, तेलुगु,कन्नड, मलयालम, मणिपुरी, मिझो, अंग्रेजी भाषा-भाषी प्रवेश ले सकते हैं ।
प्रवीण	उपर्युक्त	नवंबर, 2026 का तीसरा/चौथा सप्ताह	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण अथवा मराठी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें कक्षा 7 वी तक हिंदी का ज्ञान है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
प्राज्ञ	1 1/2 - 1 1/2 घंटा एकांतर दिवस सप्ताह में 3 घंटे	नवंबर, 2026 का तीसरा/चौथा सप्ताह	यह उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृभाषा उर्दू ,कश्मीरी , पंजाबी तथा पश्तो है और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है , प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।
पारंगत	उपर्युक्त	नवंबर , 2026 का तीसरा/चौथा सप्ताह	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/ उद्यमों/ अभिकरणों/ निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अनुसार हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। (कायार्लय ज्ञापन. फा.सं.12012/03/2015-राभा(नीति) दिनांक 22.4.2015 के अनुसार।

पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पद के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम तक का ही प्रशिक्षण दिया जाना है।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी:

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	पात्रता
प्रबोध	2-2 घंटे एकांतर दिवस सप्ताह में 6 घंटे	जिनका हिंदी ज्ञान पांचवी कक्षा के स्तर से कम है ऐसे सभी कर्मचारी/अधिकारी प्रबोध प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, मणिपुरी, मिझो, अंग्रेजी भाषा-भाषी प्रवेश ले सकते हैं।
प्रवीण	उपर्युक्त	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें कक्षा-7वीं तक हिंदी का ज्ञान है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
प्राज्ञ	1.5-1.5 घंटा एकांतर दिवस सप्ताह में 3 घंटे	यह इन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृभाषा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी तथा पश्तो है और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।
पारंगत	उपर्युक्त	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। (कार्यालय ज्ञापन, फा.सं.12012/03/2015-राभा(नीति) दिनांक 22.04.2015 के अनुसार।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी **प्रबोध, प्रवीण** एवं **प्राज्ञ** परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीनों की अवधि के लिए नियमानुसार एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है। मार्ग-व्यय का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- हिंदी **प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ** एवं **पारंगत** की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, नीचे दी गई तालिका के अनुसार अधिकारियों /कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को **"पारंगत"** प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त पुरस्कार राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। कार्यालय ज्ञापन संख्या: 21034/69/2008-रा.भा. (प्रशि) दिनांक 21 दिसंबर, 2020

क्रमांक	प्राप्तांक	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	पारंगत
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	4000/-	4500/-	6000/-	10000/-
2.	60% या इससे अधिक	2000/-	3000/-	4000/-	7000/-
3.	55% या इससे, अधिक, परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	1000/-	1500/-	2000/-	4000/-

राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजनाएं

Department Of Official Language

Incentive Schemes

पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों के लिए "राजभाषा गौरव पुरस्कार", राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्र की राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से बढ़ाया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 25 मार्च, 2015 के संकल्प सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) एवं समय-समय पर जारी संशोधन के अनुपालन में **केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना** चलाई जा रही है।

2. योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के आधिकारिक प्रचार-प्रसार के लिए आवधिक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। केंद्र सरकार के कार्मिकों द्वारा **पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु पुरस्कार** दिए जाते हैं ताकि राजभाषा में लेख लिखने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और पाठकों को अच्छे लेख पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकें।

3. पात्रता

(क) **केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक**।

(ख) लेख किसी भी सरकारी संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में **वित्तीय वर्ष (पुरस्कार घोषणा संबंधी वित्तीय वर्ष) (1 अप्रैल से 31 मार्च)** में प्रकाशित होने चाहिए।

(ग) हिंदी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।

(घ) हिंदीतर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।

(ङ) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आये हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

केंद्र की राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से बढ़ाया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 25 मार्च, 2015 के संकल्प सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति) एवं समय-समय पर जारी संशोधन के अनुपालन में केंद्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना चलाई जा रही है।

2. योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए आवधिक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। केंद्र सरकार के कार्मिकों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि राजभाषा में लेख लिखने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और पाठकों को अच्छे लेख पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकें।

3. पात्रता

(क) केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक।

(ख) लेख किसी भी सरकारी संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) में प्रकाशित होने चाहिए।

(ग) हिंदी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।

(घ) हिंदीतर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।

(ङ) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आये हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होंगी।

4. नियम व शर्तें :

(क) इस पुरस्कार योजना में एक लेखक के अधिकतम दो लेख ही शामिल किए जाएंगे। किसी लेखक के दो से अधिक लेख प्राप्त होने की स्थिति में विभाग को प्राप्त होने वाले प्रथम दो लेखों पर ही विचार किया जाएगा। अन्य लेख स्वतः ही अपात्र हो जाएंगे।

(ख) लेख की फोटोकॉपी के साथ मूल पत्रिका का होना अनिवार्य है अन्यथा लेख, पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ग) लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र लेखक द्वारा देना आवश्यक होगा।

(घ) सेवानिवृत्ति कार्मिक के संदर्भ में सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र या इससे संबंधित कागजात लगाना अनिवार्य है।

5. मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर तीन-तीन लेखों का चयन करेगा। इस चयन के लिए हिंदी प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेंगे। राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखों का मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवा कर हिंदी व हिंदीतर भाषियों के लिए तीन-तीन पुरस्कारों का चयन करेगा।

6. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना का अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तथा सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करें।

7. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि **पुरस्कार घोषणा संबंधी वित्तीय वर्ष** में छपे लेखों में से, पैरा 5 में दी गई चयन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चयनित लेख मूल पत्रिका के साथ **अंतिम तिथि (योजना वर्ष के अनुसार निर्धारित)** तक राजभाषा विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

8. पुरस्कार
विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार के साथ शील्ड एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

पुरस्कार	हिंदी भाषी	हिंदीतर भाषी
प्रथम पुरस्कार	20,000/- रु.	25,000/- रु.
द्वितीय पुरस्कार	18,000/- रु.	22,000/- रु.
तृतीय पुरस्कार	15,000/- रु.	20,000/- रु.

4. नियम व शर्तें :

(क) इस पुरस्कार योजना में एक लेखक के अधिकतम दो लेख ही शामिल किए जाएंगे। किसी लेखक के दो से अधिक लेख प्राप्त होने की स्थिति में विभाग को प्राप्त होने वाले प्रथम दो लेखों पर ही विचार किया जाएगा। अन्य लेख स्वत: ही अपात्र हो जायेंगे।

(ख) लेख की फोटोकोपी के साथ मूल पत्रिका का होना अनिवार्य है अन्यथा लेख, पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ग) लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र लेखक द्वारा देना आवश्यक होगा।

(घ) सेवानिवृति कार्मिक के संदर्भ में सेवानिवृत प्रमाण पत्र या इससे संबन्धित कागजात लगाना अनिवार्य है।

5. पुरस्कार

विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार के साथ शील्ड एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

	हिंदी भाषी	हिंदीतर भाषी
प्रथम पुरस्कार	20,000/-रु.	25,000/-रु.
द्वितीय पुरस्कार	18,000/-रु.	22,000/-रु.
तृतीय पुरस्कार	15,000/-रु.	20,000/-रु.

5. मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर तीन-तीन लेखों का चयन करेगा। इस चयन के लिए हिंदी प्रभारी सयुंक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को **अनुलग्नक 'क'** में दिए गए प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेगें। राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखों का मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवा कर हिंदी व हिंदीतर भाषियों के लिए तीन-तीन पुरस्कारों का चयन करेगा।

6. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योंजना का अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तथा सभी सम्बद्ध और अधीनस्त कार्यालयों को व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करें।

7. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वर्ष 2021-22 में छपें लेखों में से, पैरा 5 में दी गई चयन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चयनित लेख **मूल पत्रिका के साथ 31 मई 2022** तक राजभाषा विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय"

संकल्प

सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 21.03.2023 का अतिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से संशोधित "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:

क. मंत्रालय/विभाग
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
ग. बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि
घ. राष्ट्रीयकृत बैंक
ङ. विभागीय हिंदी पत्रिका
च. नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों/ट्रस्टों, आदि को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएंगे:-

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम कार्मिक 300 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार 03 पुरस्कार
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	"क" क्षेत्र "ख" क्षेत्र "ग" क्षेत्र	03 शील्ड 03 शील्ड 03 शील्ड
बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि	"क" क्षेत्र "ख" क्षेत्र "ग" क्षेत्र	02 शील्ड 02 शील्ड 02शील्ड
राष्ट्रीयकृत बैंक	800 से कम कार्मिक 800 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार 03 पुरस्कार
विभागीय हिंदी पत्रिका	"क" क्षेत्र "ख" क्षेत्र "ग" क्षेत्र	02 पुरस्कार 02 पुरस्कार 02 पुरस्कार
नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)	"क" क्षेत्र "ख" क्षेत्र "ग" क्षेत्र	02 शील्ड 02 शील्ड 02 शील्ड

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/ सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना

- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/ सरकारी क्षेत्र के बैंकों वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर हिन्दी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।
- राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 11034/01/2023-राजभाषा (नीति), दिनांक 21 मार्च, 2023 के अनुपालन में हिन्दी गृह-पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष हर भाषाई क्षेत्र यथा 'क', 'ख' तथा 'ग' में दो-दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिन्दी दिवस समारोह में इन पुरस्कारों के अंतर्गत शील्ड और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं। **इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार देय नहीं हैं।**

सं.11014/08/2026-रा.भा.(पत्रिका)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक : 13 अप्रैल 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों/स्वायत्त निकायों/बोर्डों/ट्रस्टों आदि द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना वर्ष 2025-26.

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों/स्वायत्त निकायों/बोर्डों/ट्रस्टों आदि द्वारा राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर हिन्दी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं ।

2. राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 11034/01/2023-राजभाषा (नीति), दिनांक 21 मार्च, 2023 एवं दिनांक 09 मार्च, 2026 के समसंख्यक संकल्प के अनुपालन में हिन्दी गृह-पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष हर भाषाई क्षेत्र यथा 'क', 'ख' तथा 'ग' में दो-दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिन्दी दिवस समारोह में इन पुरस्कारों के अंतर्गत शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। **इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार देय नहीं हैं ।**

3. इस पुरस्कार योजना के लिए पात्रता की न्यूनतम अर्हताएं इस प्रकार हैं :-

(क) पत्रिका में कम से कम 40 पृष्ठ होने चाहिए ।

(ख) हिन्दी में पृष्ठों की संख्या कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या का कम से कम 80% होनी चाहिए।

(ग) पत्रिका के 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान कम से कम 2 अंक प्रकाशित होने चाहिए। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड की गई ई-पत्रिका भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है ।

- इस पुरस्कार योजना के लिए पात्रता की न्यूनतम अर्हताएं इस प्रकार हैं :-

(क) पत्रिका में **कम से कम 40 पृष्ठ** होने चाहिए।

(ख) हिंदी में पृष्ठों की संख्या कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या का **कम से कम 80%** होनी चाहिए।

(ग) पत्रिका के **1 अप्रैल से 31 मार्च** की अवधि के दौरान कम से कम **2 अंक** प्रकाशित होने चाहिए। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक **"ई-पत्रिका पुस्तकालय"** पर अपलोड की गई **ई-पत्रिका** भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है।

- इस योजना में भाग लेने के इच्छुक केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/स्वायत्त निकाय आदि अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से राजभाषा विभाग को पत्रिका भेज सकते हैं।
- ऐसे समस्त मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय, जो इस पुरस्कार योजना में भाग लेने के इच्छुक है तथा पैरा 03 में उल्लिखित अर्हता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं, **पुरस्कार घोषणा संबंधी वित्तीय वर्ष** के बीच की अवधि में प्रकाशित गृह पत्रिका के श्रेष्ठ दो अंकों की 5-5 प्रतियों के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक) में वांछित सूचना पूर्ण व स्पष्ट रूप में भर कर **अंतिम तिथि (योजना वर्ष के अनुसार निर्धारित)** तक विभाग को भेज सकते हैं। पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए ई-पत्रिकाओं की भी दो अंकों की पाँच मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजना अनिवार्य है तथा इन पत्रिकाओं को अंतिम तिथि तक राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना भी आवश्यक होगा।

- **मूल्यांकन पद्धति**

राजभाषा विभाग के दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के संकल्प में पत्रिका के मूल्यांकन के लिए अधिकतम 130 अंक रखे गए हैं। इन अंकों का विवरण इस प्रकार है :-

क्रमांक	मद	अंक
1.	राजभाषा को बढ़ावा देने में पत्रिका की उपयोगिता	20
2.	सरकारी कामकाज में उपयोगिता	30
3.	भाषा, शैली एवं प्रस्तुतिकरण	20
4.	विन्यास, साज-सज्जा, कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण-स्तर	20
5.	आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात	10
6.	छपे लेखों की मौलिकता	30
	कुल अंक	130

मूल्यांकन पद्धति

4. राजभाषा विभाग के दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 के संकल्प में पत्रिका के मूल्यांकन के लिए अधिकतम 130 अंक रखे गए हैं। इन अंकों का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	मद	अंक
1.	राजभाषा को बढ़ावा देने में पत्रिका की उपयोगिता	20
2.	सरकारी कामकाज में उपयोगिता	30
3.	भाषा, शैली एवं प्रस्तुतिकरण	20
4.	विन्यास, साज-सज्जा, कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण-स्तर	20
5.	आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात	10
6.	छपे लेखों की मौलिकता	30
	कुल अंक	130

5. इस योजना में भाग लेने के इच्छुक केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/स्वायत निकाय आदि अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से राजभाषा विभाग को पत्रिका भेज सकते हैं।

6. ऐसे समस्त मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय, जो इस पुरस्कार योजना में भाग लेने के इच्छुक है तथा पैरा 03 में उल्लिखित अर्हता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं, दिनांक **01/04/2025 से 31/03/2026** के बीच की अवधि में प्रकाशित गृह पत्रिका के श्रेष्ठ दो अंकों की 5-5 प्रतियों के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक) में वांछित सूचना पूर्ण व स्पष्ट रूप में भर कर **अंतिम तिथि 30 जून, 2026** तक विभाग को भेज सकते हैं। पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए ई-पत्रिकाओं की भी दो अंकों की पाँच मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजना अनिवार्य है तथा इन पत्रिकाओं को अंतिम तिथि तक राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना भी आवश्यक होगा।

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय"

	पुरस्कार की श्रेणी	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति
क.	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ख.	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग.	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ.	"ग" भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ड.	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार- कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

पात्रता : 1. लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. पुस्तक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विषय पर लिखी अथवा अनूदित होना चाहिए।

❑उपर्युक्त योजना के लिए सामान्य शर्तें:

- पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा अलग-अलग प्रपत्र प्रोफार्मा भरा जाए।
- योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वही पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक/अनुवादक की **मौलिक/कृति/अनुवाद हो।**
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपरि-विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक/अनुवादक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- **योजना वर्ष** के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान **प्रकाशित पुस्तकें** स्वीकार्य हैं।
- पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी।
- "ग" क्षेत्र के लेखक से संबंधित शर्तें:- (क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो। (ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा संबंधित "ग" क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो (प्रमाण के रूप में 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति अपेक्षित है)। ("ग" क्षेत्र- पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य तथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओड़िशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)

❑ अनुवाद की श्रेणी से संबंधित शर्तें:

(क) इसके अंतर्गत संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद शामिल है।

(ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।

(ग) इस श्रेणी के तहत लेखक को अनूदित पुस्तक के साथ-साथ उसकी मूल भाषा की पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(घ) प्रारम्भ में विगत दो वर्ष की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें प्रविष्टि हेतु आमंत्रित की जाएंगी। तत्पश्चात वर्ष 2027 से एक वर्ष पहले अर्थात् संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान अनूदित व प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य होंगी।

- लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों और तथ्यों आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जायेगी।
- पुस्तक **कम से कम 100 पृष्ठों** की हो।
- यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
- पुरस्कार योजना के अतंर्गत केवल **आईएसबीएन (ISBN)** वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।

❑प्रविष्टि भेजने की विधि:

- प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियां भेजें। पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी।
- एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है। प्रविष्टियां **अंतिम तिथि** (**योजना वर्ष के अनुसार निर्धारित**) तक राजभाषा विभाग में पहुंच जानी चाहिए।

❑पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

- पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा।

❑पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

- पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी।
- पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन व हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2025 का कार्यालय ज्ञापन

संख्या:12011/01/2025-रा.भा.(का.-2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग(का.-2)

***

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड,नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 18 मार्च, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन व हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2025

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 14/03/2026 के अनुसरण में **"राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"** के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों व विषयों पर (01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान प्रकाशित) पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं। केवल 'अनुवाद' की श्रेणी हेतु विगत दो वर्ष (01.01.2024 से 31.12.2025 के दौरान) की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें प्रविष्टि हेतु आमंत्रित हैं।

i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार ।
ii) विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
iii) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार ।
iv) 'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन (उपरोक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)
V) अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित (अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं से) पुस्तकों के लिए।

2. पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
1.	इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रूपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 03)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
2.	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 02)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
3.	संस्कृति, धर्म, कला ,धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 02)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
4.	'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपरोक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 02)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
5.	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार- कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 02)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

3. पात्रता :

i). भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।
ii) पुस्तक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विषय पर लिखी अथवा अनूदित होनी चाहिए।

4. उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लिए सामान्य शर्तें:

i) पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।
ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक/अनुवादक की मौलिक कृति/अनुवाद हों। लेखक पुस्तक के विषय के अनुसार प्रोफार्मे में उचित विषय का चयन करते हुए ही अपनी प्रविष्टियाँ भेजें।
iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
iv) योजना के अंतर्गत **01.01.2025 से 31.12.2025** के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार योजना हेतु पात्र नहीं होगी।
vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से संबंधित शर्तें:-
(क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।
(ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो (प्रमाण के रूप में 10 वीं व 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति अपेक्षित है)। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओड़िशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
vii) अनुवाद की श्रेणी से संबंधित शर्तें :
(क) इसके अंतर्गत संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद शामिल है।
(ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।
(ग) इस श्रेणी के तहत लेखक से अनूदित पुस्तक के साथ-साथ उसकी मूल भाषा की पुस्तक की चार प्रतियाँ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(घ) इस श्रेणी हेतु प्रारम्भ में विगत दो वर्ष की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें (01.01.2024 से 31.12.2025) प्रविष्टि हेतु आमंत्रित हैं। तत्पश्चात वर्ष 2027 से एक वर्ष पहले अर्थात संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान अनूदित व प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य होंगी।
viii) लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक पुस्तक में दिए गए आँकड़ों, तथ्यों आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
ix) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जायेगी।
x) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो।
xi) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
xii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक/अनुवादक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
xiii) केवल वे पुस्तकें जिन पर **ISBN** होगा, योजना के अंतर्गत शामिल की जाएंगी।

5. प्रविष्टि भेजने की विधि :

i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियां भेजें। प्रतियाँ वापिस नहीं की जाएंगी।
iii) एक लेखक/अनुवादक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।
iv) प्रविष्टियां **31 मई, 2026** तक राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा ।

7. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।
ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

8. सामान्य सूचना:

i) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

ii) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित अथवा वायुयान (इकोनोमी श्रेणी) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।

iii) योजना के बारे में सूचना विभाग की वेबसाइट **https://rajbhasha.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

9. **प्रविष्टि भेजने का पता:**

अनुसंधान अधिकारी(का.)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, कमरा सं. 18
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन- 011-23438143, 011-23438129

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)
निदेशक, राजभाषा विभाग(का.2)
दूरभाष 011-23438129

प्रति:-

1. निदेशक, जन-संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में समुचित सूचना परिचालित करें।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
5. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का. ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।
6. राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

(संतोष कुमार)
अनुसंधान अधिकारी(का.2)
दूरभाष 011-23438143

अनुलग्नक

"भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"

प्रपत्र

कृपया संबंधित पुरस्कार योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को चिह्नित करें।

(क)	**इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।**	
(ख)	**विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।**	
(ग)	**संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।**	
(घ)	**'ग' क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।**	
(ङ)	**हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।**	

1. पुरस्कार योजना का वर्ष ....
2. पुस्तक का नाम ....
3. (i) लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक का नाम
   ....
   (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) :
   ....
   ....
   (iii) दूरभाष: ....
   (iv) मोबाइल संख्या .... ईमेल ....
4. (i) प्रकाशक का नाम...... ....
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता. ....
   (iii) प्रकाशन का वर्ष..
5. क्या मौलिक पुस्तक/अनूदित पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हाँ/नहीं
   यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा
   दें..
   ....
   ....
   ....
6. लेखक की मातृभाषा ('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए) ....
7. क्या 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है ? हाँ/नहीं .... ('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए)
8. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-
   (i) मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... भारतीय नागरिक हूँ।
   (ii) मैंने पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी/अनूदित की है।
   (iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। पुस्तक में दिए गए आँकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।
9. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं उपर्युक्त मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थान....................
दिनांक ....

लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-
अनुवादक
के हस्ताक्षर

नोट 1. जो लागू न हो, उसे काट दें।
नोट 2. पुस्तक के एक से अधिक लेखक/ अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह- अनुवादक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

*****